फर्द अहकाम

बनाम प्रेमवती वगैरह

न्यायालय I.C.&I.M (I.T.) SHAHPURA (JAIPUR)

प्रकरण संख्या 45/2025

प्रकरण T.I. 21/2025

आदेश संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित, प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अन्त प्रार्थना T.I. में दिनांक 26/9/25 को वकील प्रार्थी द्वारा दुरुस्तीशुदा प्रार्थना पेश किया गया, जिसका जवाब फिजवाया जा चुका है एवं इसके उपरांत प्रकरण में तारीख पेशी 10/10/25 को वकील प्रार्थी द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने जाहिर किया गया अर्थात् लगभग 15 दिवस पूर्व पत्रकार वकील प्रार्थी के सम्पर्क में थे परन्तु अब नहीं, इससे जाहिर होता है कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित किया जा रहा है। प्रकरण में न्यायालय आदेश की अवहेलना की गई है। पक्षी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी की प्रकरण में रुचि नहीं रही है एवं प्रभावी पैरवी के अभाव का आभास स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। इस वाद अदमतकमील में खारिज किया जा चुका है अतः उक्त प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अदमतकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो व इस वाद को हमेशा हेतु हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.